

1
न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—151/2021

प्रार्थी:— शंकरलाल पुत्र श्री राणाराम, जाति विश्नोई, निवासी वीर तेजानगर बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला—जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:— तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी की ओर से — सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक:—.....

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 177/1 रकबा 1.8049 हैक्टेयर, मौजा ग्राम वीर तेजानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शंकरराम पुत्र राणाराम दर्ज हैं लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम शंकरलाल पुत्र राणाराम हैं। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश शंकरराम पुत्र राणाराम दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, इत्यादि में प्रार्थी का नाम शंकरलाल दर्ज है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से प्रार्थी की भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 177/1 रकबा 1.8049 हैक्टेयर मौजा ग्राम वीर तेजानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम शंकरराम पुत्र राणाराम दर्ज कर रखा है


जो गलत हैं उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम शंकरलाल पुत्र राणाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।


प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 177/1 रकबा 1.8049 हैक्टेयर मौजा ग्राम वीर तेजानगर पटवार हल्का बाना का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी नाम शंकरराम पुत्र राणाराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल पुत्र राणाराम दर्ज किया जाकर रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक.....12/3/22..... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां